



झारखण्ड सरकार,

# झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, राँची-834004.

## विवरणिका

विज्ञापन संख्या-15/2015

संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2015  
(बैकलाँग रिक्ति)

**CGSCE-2015**

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या-11/क.च.आ.-02-02/2013 का. - 3144 (अनु.) दिनांक 07.04.2015, पत्र संख्या-11/क.च.आ.-02-12/2014 का. - 2909 (अनु.) दिनांक 31.03.2015, पत्र संख्या-11/विविध-11-10/2014 का. - 10911 (अनु.) दिनांक 28.12.2015, पत्र संख्या-7/नियुक्ति-003/2013 का.-10196 (अनु.) दिनांक 02.12.2015 तथा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पत्रांक- 02/(4) स.प्र.पदा. नियुक्ति-33/2011-2235 (अनु.) दिनांक 12.08.2015 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची; कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत क्रमशः सहायक, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2015 के लिये ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अर्हता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) पर लॉगईन (Login) करके समर्पित किया जा सकता है।

## 2. रिक्तियों का विवरण :-

क्रम सं.	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या				
			कुल	कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण			
				महिला	दृष्टि निःशक्तता	मूक बाधिर निःशक्तता	चलन निःशक्तता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	अनुसूचित जनजाति	14	00	00	00	00
2	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	अनुसूचित जनजाति	25	01	00	00	00

3. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है।
4. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पदों के लिए विज्ञापन संख्या-14/2015 नियमित रिक्तियों के लिए प्रकाशित किया गया है। विज्ञापन संख्या- 14/2015 एवं 15/2015 दोनों विज्ञापनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ एक ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑन लाईन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापनों के लिए एक साथ आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं वैसी स्थिति में भी उन्हें एक परीक्षा शुल्क देना होगा।

इन दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा "संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा- 2015" आयोजित की जायेगी।

5. कंडिका- 2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:-

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
1	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	वेतन बैंड पी.बी. I – रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन – रु. 4200	स्नातक या समकक्ष डिग्री।
2	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	वेतन बैंड पी.बी. I – रु. 9300-34800 ग्रेड वेतन – रु. 4200	

शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए Online आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि (Reference Date) माना जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता नहीं धारित करते हैं तथा ऊपर उल्लेखित शर्त पूरा नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

6. आयु सीमा :-

उम्र की गणना दिनांक 01.08.2015 के आधार पर की जायेगी।

न्यूनतम उम्र सीमा :- 21 वर्ष

अधिकतम उम्र सीमा :-

(क) अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) – 40 वर्ष।

7. सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 अथवा इससे अधिक हो, को आयु सीमा में पाँच वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। निःशक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा पर्षद से निर्गत होना चाहिए।
8. दृष्टि निःशक्त एवं चलन निःशक्तता श्रेणी के उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर स्क्राइब की सुविधा दी जायेगी। निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा। यह सुविधा सभी निःशक्त अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

**निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा :-**

अंध/नेत्रहीन/कम दृष्टि, दोनों हाथ एवं बाँह में चलन निःशक्तता तथा सेरेब्रल पालसी से ग्रसित अभ्यर्थियों, जिसकी निःशक्तता प्रतिशत 40% अथवा इससे अधिक हो एवं पढ़ने-लिखने में असमर्थ हों, वैसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा देय है। निम्नांकित शर्तों पर निःशक्त अभ्यर्थी श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं:-

(क) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit Card) में Category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात PH- Cerebral Palsy या Vision मुद्रित हो।

(ख) निःशक्त अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(ग) श्रुतलेखक/स्क्राइब 12वीं कक्षा अथवा इंटरमिडियेट से अधिक शिक्षित नहीं हो तथा वह अभ्यर्थी का निकट संबंधी नहीं हो।

- (घ) 12वीं कक्षा अथवा इंटरमिडियेट की परीक्षा में श्रुतलेखक/स्क्राइब को 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त न हो।
- (ङ) श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के लिए निःशक्त अभ्यर्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व प्रवेश पत्र (Admit Card) में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को अपना आवेदन पत्र, स्वयं व्यवस्था किए गए श्रुतलेखक/स्क्राइब की विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-III) में विवरणी तथा निःशक्तता प्रमाण की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायेंगे।
- (च) परीक्षा की तिथि को श्रुतलेखक/स्क्राइब के साथ अभ्यर्थी परीक्षा के  $1\frac{1}{2}$  घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी अपने साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब नहीं लायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (छ) केन्द्राधीक्षक द्वारा निःशक्त अभ्यर्थियों को सभी पालियों की परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- (ज) वैसे अभ्यर्थी जिनकी Locomotor Disability एवं Cerebral Palsy से लिखने की क्षमता 40 प्रतिशत से ज्यादा किन्तु आंशिक रूप से प्रभावित हुई है, उन्हें श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा देय नहीं होगी, किन्तु उन्हें सभी पालियों में प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- (झ) श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा इस कोटि के अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक को परीक्षा के एक दिन पूर्व दिये गये आवेदन पर ही दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी यह सुविधा प्राप्त करने के लिये आवेदन नहीं देंगे उन्हें यह सुविधा देय नहीं होगी। परीक्षा के दिन को श्रुतलेखक/स्क्राइब हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

## 9. आरक्षण :-

- (I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित/सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।
- (III) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रमाण-पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:-
- (i) जाति प्रमाण पत्र - जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी से विहित-प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परिशिष्ट-I पर अंकित प्रपत्र में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है।
- (ii) स्क्राइब हेतु आवेदन पत्र प्रपत्र परिशिष्ट-III पर उपलब्ध है।

10. ON LINE आवेदन पत्र को भरना एवं (Submit) करना :- ऑन-लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेबसाईट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) पर जाएँ एवं Online Application for JGSCE-2015 पर Click करें तथा

आवेदन पत्र भरें। आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक की परीक्षा ली जायेगी।

आवेदकों को विज्ञापन संख्या-14/2015 में वर्णित सभी पाँच पदों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम विकल्प अपनी इच्छानुसार देना आवश्यक होगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन मेधा-सह-विकल्प के आधार पर किया जायेगा।

## 11. परीक्षा का स्वरूप :-

1. परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :- परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी -

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी।

परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

## 2. प्रारम्भिक परीक्षा :-

(i) प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा।

पत्र - सामान्य ज्ञान (कुल प्रश्न - 150, परीक्षा अवधि - 2 घंटा)

(क) सामान्य अध्ययन	-	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	-	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	-	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	-	20 प्रश्न
(ङ) कम्प्यूटर का मूल भूत ज्ञान	-	20 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	-	30 प्रश्न
कुल	-	150 प्रश्न

(ii) प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

पत्र - सामान्य ज्ञान

(क) सामान्य अध्ययन:-

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं

भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षिय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

**(ख) सामान्य विज्ञान:—**

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

**(ग) सामान्य गणित:—**

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

**(घ) मानसिक क्षमता जाँच:—**

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनो प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

**(ङ) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान:—**

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम.एस. विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम.एस. ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

**(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:—**

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

- 12.** प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों का चयन, मुख्य परीक्षा के लिए, प्रारम्भिक परीक्षा की मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा जिसमें उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आरक्षित पदों की संख्या के पन्द्रह गुणा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हों।

एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

**13. मुख्य परीक्षा :—**

मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। एक पाली की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। यह परीक्षा दो पालियों में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे:—

पत्र – 1 (भाषा ज्ञान) : कुल प्रश्न – 150, परीक्षा अवधि – 2 घंटा

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान	—	75 प्रश्न
(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान	—	75 प्रश्न

**पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान) : कुल प्रश्न – 150, परीक्षा अवधि – 2 घंटा**

(क) सामान्य अध्ययन	—	40 प्रश्न
(ख) सामान्य विज्ञान	—	20 प्रश्न
(ग) सामान्य गणित	—	20 प्रश्न
(घ) मानसिक क्षमता जाँच	—	20 प्रश्न
(ङ) कम्प्यूटर का ज्ञान	—	20 प्रश्न
(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	—	30 प्रश्न

**टिप्पणी:—** (1) पत्र-1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 40% (चालीस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र-2 का मुल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(2) पत्र-2 (सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हतांक नहीं होगा।

(3) पत्र-1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र-1 एवं पत्र-2 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

## मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम

### पत्र – 1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :-

(i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	—	25 प्रश्न
(ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न	—	50 प्रश्न

इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :-

(i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न	—	25 प्रश्न
(ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न	—	50 प्रश्न

इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

### पत्र – 2 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन:-

इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय,

वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी, महत्त्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षिय योजना।

झारखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी।

**(ख) सामान्य विज्ञान:-**

सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

**(ग) सामान्य गणित:-**

इस विषय में सामान्यतः अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक/10वीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

**(घ) मानसिक क्षमता जाँच:-**

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं – सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि।

**(ङ) कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान:-**

इसमें कम्प्यूटर के विभिन्न उपकरणों, एम.एस. विन्डो ऑपरेटिंग सिस्टम, एम.एस. ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

**(च) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:-**

झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियाँ, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विषय इत्यादि।

**14. मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया:-**

- (i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा में कंडिका-13 की टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 एवं 2 के विषयों के प्राप्तांक के योग के आधार पर सामान्य मेधा-सूची (Common Merit List) तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। चयन सूची मेधा-सह-विकल्प के आधार पर तैयार की जायेगी।
- (ii) मेधा-सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक समकक्ष अथवा अन्य अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातक समकक्ष एवं अन्य अर्हता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा।



(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(iv) मुख्य परीक्षा के आधार पर सामान्य मेधा-सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के अनुसार आरक्षणवार सूची गठित होगी। परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-

(I) अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 32 (बत्तीस) प्रतिशत

(v) परीक्षा के आधार पर मेधा-सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण-पत्रों के जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

## 15. परीक्षा शुल्क:-

परीक्षा शुल्क रु. 460 (चार सौ साठ रुपये) है।

**परीक्षा शुल्क में छूट:-** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रु. 115 (एक सौ पन्द्रह रुपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में निम्नवत राशि का भुगतान भी करना होगा:-

(क) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहयोगी बैंको के नेट बैंकिंग एवं डेबिट कार्ड द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रु. 11.40।

(ख) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य बैंको के नेट बैंकिंग से परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रु. 17.10।

(ग) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा अन्य बैंको के डेबिट कार्ड एवं किसी भी क्रेडिट कार्ड से परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रु. 12.54।

(घ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में चालान के द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने पर अतिरिक्त देय राशि रु. 57.00।

## 16. ऑन-लाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए दिशा निदेश:-

- (I) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (Spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।
- (II) आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा- तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।
- (III) आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाइट [www.jssc.in](http://www.jssc.in) पर जाएँ एवं **Online Application for JGSCE-2015** को **Click** करें। तत्पश्चात् अपना पंजीकरण (Registration) करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही आप पुनः लॉगिन करें एवं आप अपने बारे में विस्तृत सूचना तथा अपना स्कैन (Scanned) किया हुआ फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें। ऑनलाईन आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को **Save and Continue** करने के पश्चात् अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है अन्यथा भरे गये आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकल पायेगा। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12.00 बजे मध्याह्न के पश्चात् पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के दो दिनों के बाद पुनः लॉगिन कर आप भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन Online Submit नहीं हो पायेगा। ऑन-लाईन आवेदन भरने के लिए लिंक दिनांक 15.01.2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न से उपलब्ध होगा तथा आवेदन को भेजने (Submit) करने की अन्तिम तिथि दिनांक 14.02.2016 संध्या 05.00 बजे तक है। 14.02.2016 के बाद दिनांक 19.02.2016 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा। दिनांक 14.02.2016 के बाद ऑन-लाईन आवेदन का लिंक बंद कर दिया जायेगा। दिनांक 14.02.2016 के बाद परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर जाकर State Bank Collect Click करें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें Term&Condition को टिक (√) कर Proceed बटन दबा आगे बढ़ें। एक नया पेज खुल जायेगा जिसमें State of Corporate/Institution के सामने Jharkhand Select करें तथा Type of Corporate/Institution के सामने Govt. Department Select करें तथा Go बटन दबा कर अगला पेज खोलें जिसमें Govt. Department Name के विरुद्ध Jharkhand Staff Selection Commission Select कर Submit बटन दबा दें। इसके बाद Select Payment category के सामने CGSCE-2015 Select करें तथा अपना Registration Number डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।

## 17. नियुक्ति:-

- (i) परीक्षा में सफलता सेवा पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात्, जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

- (ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2), के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

### 18. अन्यान्य:—

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होगा।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टियों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा:—
  - (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
  - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
  - (iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (Counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण-पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :—
    - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
    - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
    - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता-पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :—
  - (i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।
  - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
  - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।
  - (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
  - (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
  - (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।
  - (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
  - (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

- (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
- (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भाँति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का मुल्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जाँय। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाँय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।
- (xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के Website पर Upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रवेश पत्र (Admit Card) में किसी प्रविष्टि अथवा फोटो में त्रुटि हो तो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक को आवेदन देकर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे तथा आवेदन के साथ स्वःप्रमाणित प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति देना अनिवार्य होगा। साथ ही फोटो पहचान पत्र मूल में अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में अपने साथ रखना होगा।
- (xviii) परीक्षा में OMR ANSWER SHEET का उपयोग होगा तथा परीक्षा के बाद Computer के माध्यम से मूल्यांकन कार्य सम्पादित होता है। सभी अभ्यर्थी को हिदायत की जाती है कि OMR ANSWER SHEET पर आवश्यक प्रविष्टि (Entry) के अलावे उस पर किसी प्रकार का अन्य चिन्ह नहीं बनावे अन्यथा मूल्यांकन में त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। OMR ANSWER SHEET पर उत्तर के लिए संबंधित गोला को इस प्रकार Black Ball Point Pen से पूरा काला (Darken) करें जिससे कि किसी अन्य गोला पर कोई निशान/चिन्ह नहीं बनने पाये अन्यथा मूल्यांकन प्रभावित होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- (xxi) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट पर दिया जायेगा।
- (xxii) आयोग को अपरिहार्य कारणो से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (xxiii) अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए परीक्षा के परिणाम प्रकाशित होने के बाद अभ्यर्थियों का अंक आयोग के वेबसाईट पर Upload होगा। प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंको की जानकारी नहीं दी जायेगी।

ह./—  
परीक्षा नियंत्रक।

## परिशिष्ट-I

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 7/जा.नि.-19-11/2008  
का.-5682 दिनांक- 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

**झारखण्ड सरकार**

**प्रपत्र-I**

.....

(कार्यालय का नाम)  
जाति प्रमाण-पत्र  
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या-.....

तिथि:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ..... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .....  
डाकघर..... थाना ..... जिला ..... राज्य.....  
अनुसूचित जाति\*/अनुसूचित जनजाति\* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप जाति  
के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति\*/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में  
मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः  
गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....में  
निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
नाम .....

दिनांक :-

पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. \* बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. \* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

-----

## परिशिष्ट-III

### संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा-2015

श्रुतलेखक/स्क्राइब की विवरणी:-

1. अभ्यर्थी का नाम..... 2. रोल नं.-
3. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत-
4. परीक्षा केन्द्र का नाम 5. परीक्षा कक्ष सं. (इसे खाली छोड़ दें)
6. श्रुतलेखक/स्क्राइब का नाम-
7. श्रुतलेखक/स्क्राइब के पिता/पति का नाम-
8. श्रुतलेखक/स्क्राइब का पता-
9. श्रुतलेखक/स्क्राइब की जन्म तिथि-
10. श्रुतलेखक/स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा या कोर्स का नाम	संकाय	वर्ष	उत्तीर्ण/अध्ययनरत	प्राप्तांक का प्रतिशत	बोर्ड/महाविद्यालय
1	2	3	4	5	6
मैट्रिक/हाई/स्कूल/सेकण्डरी					
+2 इंटरमिडियेट					

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि श्रुतलेखक/स्क्राइब श्री/श्रीमती/सुश्री 12वीं/ इंटरमिडियेट तक शिक्षित हैं तथा मेरे निकट संबंधी नहीं हैं। उक्त घोषणा गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द कर दी जाय।

श्रुतलेखक/स्क्राइब का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

11. टिप्पणी-

वीक्षक का हस्ताक्षर

केन्द्राधीक्षक का हस्ताक्षर